युवती की हत्या के मामले में प्रेमी सहित दोस्त गिरफ्तार

इस मामले में एक बाल अपचारी भी शामिल है, पुलिस तीनों से पूछताछ में लगी है

भीलवाड़ा, (निसं)। शंभूगढ़ क्षेत्र के बरसनी में हुई अनु हत्याकांड का पुलिस में खुलासा किया है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद धारदार हथियार से अनु की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने साइबर सेल, डीएसटी टीम, गुलाबपुरा, प्रताप नगर और शंभूगढ़ थाना पुलिस ने दो आरोपियों कैलाश (20) पिता मदनलाल रेगर निवासी मोटरास थाना शंभूगढ़ गोविंद (21) पिता कल्याण रेगर निवासी मोटरास शंभूगढ़ को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपी कैलाश को भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से और गोविंद को जोधपुर से गिरफ्तार किया है।पुलिस तीनों से गहनता से पूछताछ में लगी है।

पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

- कैलाश और अनु के बीच किसी बात को लेकर कुछ दिनों से अनबन चल रही थी

यह था वारदात का तरीका :- मृतक अनु की कैलाश से पिछले सात आठ महीने से मित्रता थी और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कैलाश और अनु के बीच किसी बात को लेकर कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। दोनों ने बुधवार रात फोन पर बात की और कैलाश अनु से मिलने अपने दोस्त गोविंद व एक अन्य नाबालिग के साथ बाइक से आया। दोनों ने कैलाश को गांव के बाहर स्कूल के पास छोड़ा यहां से वो अकेला पैदल अनु के घर गया। अनु के घर आपस में बोलचाल और बाद में विवाद बढ़ने पर कैलाश ने अनु के गले पर चाकू से वार कर दिया और भाग निकला। पुलिस ने मृतक के पिता प्रेमलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है।

मांगों पर सहमति बनी सुबह होगा पोस्टमार्टम :- तीन सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना-प्रदर्शन देर रात सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया गया। हत्यारों को गिरफ्तार कर फास्टट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी दिलाने, परिवार को 30 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा दिलाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाये जाने की मांग रखने के बाद मौके पर पहुंचे विधायक जब्बर सिंह सांखला के साथ पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समझाइश के बाद देर रात वार्ता के बाद मुआवजे को लेकर सहमति बन गई। वहीं नौकरी के लिए पांच सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों कें सुपुर्द कर मामले की गहनता से जांच शुरू की है।

बालक के साथ कुकर्म, आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। शहर में किशोरपुरा थाना इलाके में नौ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने पहले पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसने बालक को मेला और फिश एक्वेरियम के डॉम दिखाने के नाम पर कुकर्म किया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कोटा शहर एसपी शरद चौधरी ने बताया कि गत 10 जनवरी को किशोरपुरा थाने पर एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह थाना इलाके में ही चाय बेचने का व्यवसाय करते हैं। उनका नौ वर्षीय बालक मेला मैदान में अपने पिता के साथ गया था। जहां पर पिता तो वापस अपनी दुकान पर आ गए लेकिन बालक मेले में रह गया था। इसके बाद वहां पर मेले में मौजूद आरोपी उसे मछली दिखाने के बाद सुनसान जगह पर ले जाकर बालक के साथ कुकर्म किया। यह जानकारी बच्चों ने रोते हुए वापस घर पहुंच कर अपने परिजनों को दी। इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने घटना के तुरंत बाद अनुसंधान शुरू कर दिया। आरोपी महाराष्ट्र के हिंगोली जिला के देवड़ा नगर निवासी 21 वर्षीय हर्ष पुत्र अंबादास मातंग को गिरफ्तार किया गया है।

जब्त जे.सी.बी. छीनकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने गुरुवार देर रात को अवैध खनन करने पर जब्त की गई जेसीबी मशीनों को जबरन छुड़ाकर ले जाने व पुलिस पर पथराव करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले छह साल से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस की ओर से थाना क्षेत्र के टॉप टेन अपराधियों में शामिल किया हुआ था।

- पुलिस ने अवैध खनन के दौरान जेसीबी मशीनों को जब्त किया था
- आरोपी छह साल से फरार चल रहा था, टॉप टेन अपराधियों में शामिल था

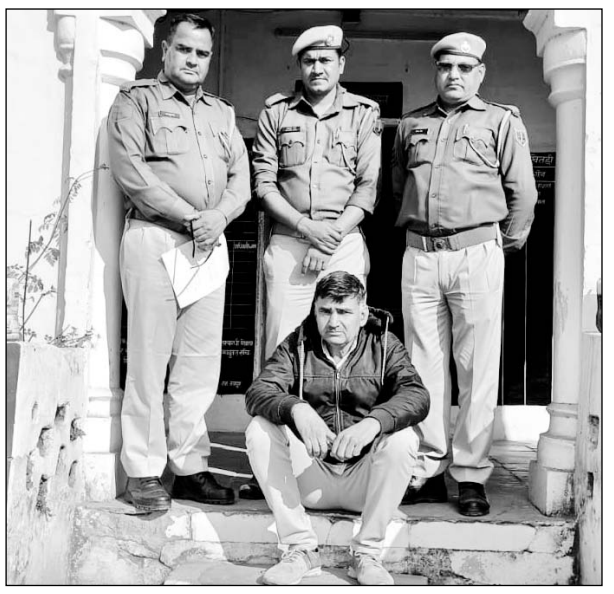

खेतड़ी पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।

सीआई आशाराम गुर्जर ने बताया कि थाना क्षेत्र के वांछित बदमाशों की धरपकड़ को लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना क्षेत्र के टॉप टेन बदमाशों को गिरफ्तार करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि वर्ष 2017 में नदी में अवैध खनन करने पर जब्त की गई मशीनों को जबरन छुड़ाकर ले जाने व पुलिस पर पथराव करने के मामले में फरार चल रहा आरोपी जाट की ढाणी तन रामकुमारपुरा का रहने वाला करणी राम पुत्र मातादीन अपने गांव आया हुआ है। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर उसके घर पर दबिश दी गई। जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने लगी तो उसके परिजनों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने काफी समझाइस के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस की ओर से वर्ष 2017 में बसई नदी में अवैध खनन की सूचना पर दो मशीनों को जब्त कर किसी की निगरानी में खड़ा करवाया था। इस दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जेदार को जान से मारने की धमकी देखते हुए एलएनटी मशीनों को छुड़ाकर ले गया। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस पर पथराव करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाई थी, इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करणी राम से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

अवैध बजरी व पत्थर से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा द्वारा दिये निर्देशों पर महावीर सिंह शेखावत वृताधिकारी निवाई व जगदीश प्रसाद थानाधिकारी निवाई सदर द्वाराएक अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर एमएमआरडी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है।

इसी प्रकार घाड क्षेत्र में थानाधिकारी प्रभाती लाल द्वारा कस्बा घाड घाटी चौराह से एक बिना नम्बरी ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जब्त किया, जो अवेध चैजा पत्थर से भरी हुई थी। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जिसके विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट में प्रकरण कर अनुसंधान जारी है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज द्वारा दिये निर्देशों पर चलाये विशेष अभियान के तहत थाना दत्तवास क्षेत्र में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में महावीर सिंह वृत्ताधिकारी निवाई व मूलचन्द वर्मा थानाधिकारी दत्तवास ने विशेष टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दो वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारण्टी विष्णुसिहं पुत्र लक्ष्मण सिंह ज्को गिरफ्तार कर न्यायालय एसीजेएम निवाई में पेश किया जायेगा।

टोंक में पुलिस ने अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किया।

बाइकों की भिंड़त में तीन घायल

डूंगरपुर, (निसं)। पालवाडा गांव में शुक्रवार सुबह दो बाइको की भिंडत में तीन जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के पालवाडा गाव निवासी बदा पुत्र मावजी रावल मोटरसाइकिल देवल गांव में अपने गांव पालवाडा की ओर जा रहा था। जैसी ही बाइक लेकर पालवाडा गांव में पहुंच इस दौरान एक अन्य बाइक सवार दो जनों से उसकी बाइक टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार तीन जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे में पालवाडा निवासी बदा पुत्र मावजी रावल के हाथ और पैरों पर गंभीर चोटे आई। वही दूसरी बाइक पर सवार डूंगरपुर के आदर्श नगर निवासी अजय रंगास्वामी को तथा बाइके पीछे बेटे अन्य व्यक्ति को चोटे आई है।

दशरथ गुर्जर हत्याकांड का नौ दिन बाद भी नहीं हुआ खुलासा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के सगरेव गांव में दशरथ गुर्जर की संदिग्ध मौत के मामले में नौ दिन बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। ऐसे में एक बार फिर ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आये। ग्रामीणों ने रायपुर एसडीएम ऑफिस के सामने स्टेट हाइवे पर चक्का जाम कर दिया और सड़क पर ही धरने पर बैठ गये। ये लोग मृतक आश्रितों को एक करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार सगरेव निवासी दशरथ (14) पुत्र गोपी गुर्जर

- मामले में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया

3 जनवरी की सुबह 11 बजे बकरियां चराने के लिए घर से खेत के लिए गया, जिसकी लाश दोपहर में बंबूल के पेड़ से लटकी मिली थी। आस-पास बकरियां चराने वाले तीन लोगों ने लाश को फंदे से उतार लिया था। इसके बाद पुलिस व परिजनों को सूचना दी। तब ग्रामीणों ने यह कहते हुये कि दशरथ आत्महत्या नहीं कर सकता, उसे मारकर पेड़ से लटकाया गया है, कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर हंगामा भी हुआ था।

मृतक के बड़े भाई रमेशचंद्र ने रायपुर पुलिस को दशरथ की हत्या की रिपोर्ट दी। रमेशचंद्र ने रिपोर्ट में शंका जाहिर की है कि उसके भाई दशरथ को किन्हीं अज्ञात लोगों ने बहला फुसलाकर पास में बुला कर उसका गला घोट दिया और जान से मारने के बाद रस्सी से बांधकर बंबुल पर लटका दिया और मौके से फरार हो गये। काफी समझाइश के बाद ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद राजी हुये थे। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि दोषियो को तुरन्तं प्रभाव से गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्रामीणों द्वारा उठा आंदोलन किया जायेगा।

उधर, दूसरी और इस घटना को नौ दिन बीत गये, लेकिन पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई। इसी के चलते शुक्रवार को सगरेव व आस-पास के इलाकों से ग्रामीणों के साथ ही महिलायें रायपुर एसडीएम ऑफिस के सामने जमा हो गई। ये लोग दशरथ के हत्यारों की गिरफ्तारी, मृतक आश्रितों को एक करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे और रायपुर-बोराणा स्टेट हाइवे पर जाम लगा दिया और सड़क पर ही धरना देकर बैठ गये। सूचना पर रायपुर एसडीएम, गंगापुर एएसपी व डीएसपी के साथ ही रायपुर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। देर शाम तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाइश के प्रयास कर रहे थे।

सीमावर्ती क्षेत्र में महिलायें जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण के हक से वंचित

निदेशालय की हठ के आगे कोर्ट निर्णय व कार्मिक विभाग के नियम भी हो रहे बेकार, रीट भर्ती 2021 (लेवल-1) से जुड़ा मामला

सादुलपुर, (निसं)। चूरू जैसे अनेक सीमावर्ती जिलों में नजदीकी हरियाणा राज्य से यहां विवाहित सैकड़ों महिलाएं पिछले पांच वर्ष से जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण के हक से वंचित हैं।

आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं का मामला जहां आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, वहीं ईडब्लूएस श्रेणी की महिलाओं को हाईकोर्ट ने आरक्षण का हकदार मानते हुए इन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देते हुए नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। लम्बी जद्दोजहद व टिका-टिप्पणी के बाद आखिरकार कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ने भी इन्हें आरक्षण का हकदार मान लिया है। लेकिन सरकार के विभिन्न भर्ती निकाय व नियुक्ति विभाग आज भी उक्त आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। लापरवाही का आलम यह है कि रीट भर्ती 2021 लेवल-1 में सादुलपुर तहसील की दो महिला अभ्यर्थी पूजा रानी व अमन कुमारी पिछले दो वर्ष से नियुक्ति से वंचित हैं। इनकी नियुक्ति की फाइल पर निदेशालय के अधिकारी कुंडली मारकर बैठ गए हैं। इन महिलाओं के बार-बार प्रतिवेदन के बावजूद चीफ सेक्रेटरी व शिक्षा सचिवालय के आदेश भी निदेशालय स्तर पर दम तोड़ रहे हैं।

हरियाणा से सादुलपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में विवाहित महिलाओं को आरक्षण की निरंतर मांग उठा रहे सादुलपुर से विधायक मनोज न्यांगली ने इन दोनों पीड़ित महिलाओं को नियुक्ति हेतु सीएम को पत्र लिखा है। साथ ही निदेशक से दूरभाष पर मामले के सारे तथ्यों से अवगत करवाते हुए नियुक्ति में हो रही देरी के प्रति नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निदेशालय के जिम्मेदार अधिकारियों को इस संबंध में आगाह किया कि वे इस मामले में आंदोलन को मजबूर ना करें।

इन महिलाओं को आरक्षण के लिए निरंतर कानूनी लडाई लड रहे एडवोकेट हरदीपसिंह सुंदरिया के मुताबिक संविधान की आर्टिकल 16 जन्मस्थान अथवा लिंग के आधार पर राज्य को नौकरी में भेदभाव की इजाजत नहीं देती है। ये महिलाएं विवाह के आधार पर राजस्थान की स्थायी निवासी हैं न कि अस्थायी प्रवासी नागरिक। उक्त प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट इन महिलाओं को ईडब्लूएस श्रेणी में अध्यापक पद पर नियुक्ति का आदेश दे चुका है। सरकार ने उक्त आदेश को स्वीकारते हुए नो अपील का निर्णय भी ले लिया है तो निदेशालय स्तर पर इन महिलाओं की नियुक्ति को असीमित समय रोके रखना व्यवस्था की बड़ी लापरवाही है। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी के समक्ष लिखित तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण दे चुके वेदपाल धानोठी के अनुसार निरंतर पांच वर्ष के संघर्ष से उक्त मामले में महत्वपूर्ण सकारात्मक मोड आ चुका है। लेकिन भर्ती एजेंसियां सच्चाई स्वीकार करने की बजाय इन महिलाओं के प्रति संकुचित रवैया अपनाई हुई हैं। निदेशालय तो कार्मिक विभाग के ओपिनियन को भी दरकिनार कर वर्तमान में जारी रीट भर्ती में भी इन महिलाओं को नियुक्ति से बाहर रखने के संवेदनहीन दिशा निर्देश जारी कर चुका है।

जमीन पर कब्जा करने वाला गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। पुलिस ने विधवा महिला की जमीन पर कब्जा करने और नेशनल हाईवे का मुआवजा हडपने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीएसपी तपेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि निर्मला पत्नी स्वर्गीय वेलाराम मीणा निवासी छगन कॉलोनी खेरवाडा जिला उदयपुर में रहती है। पति की 2 साल पहले मौत के बाद वह अकेली रहती है। बिछीवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि है। उस जमीन पर तारावती पत्नी मोहन कलाल, तन्मय पुत्र मोहन कलाल निवासी बरोठी ने कब्जा करने की नियत से किराना की दुकान लगा दी। गाली-गलौच करते हुए धमकियां देते हैं। आरोपियों ने झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी है। इसी वजह से पति की भी मौत हो गई। मामले में डीएसपी की ओर से जांच की गई। जांच में कब्जेशुदा बिलानाम जमीन को हडपने के साथ ही नेशनल हाईवे 48 में मुआवजे के 47 हजार 374 रुपए हडपने की पुष्टि हुई। डीएसपी तपेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी मोहनलाल पुत्र मूलचंद कलाल निवासी बरोठी को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रेन के परिवर्तित मार्ग के फेरे बढ़ाए गए

कोटा, (निसं)। उत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल के बारांबंकी-अयोध्या कैंट-शाहगंज-जफराबाद खण्ड पर दोहरीकरण नॉन इंटरलाकिंग कार्य जफ़रगंज, मालीपुर एवं तुलसी नगर स्टेशनों पर नॉनइंटरलाकिंग कार्य किया जाना है जिस कारण पूर्व में एक दिशा में कोटा-पटना एक्सप्रेस उक्त कार्य अवधि में दो ट्रिप लखनऊ-वाराणसी के मध्य परिवर्तित मार्ग से चलाने जाना प्रस्तावित था जिसे बढ़ाकर दोनों दिशों में तीन-तीन ट्रिप किया गया है। यह गाड़ी दोनों दिशा में निर्धारित तिथियों में लखनऊ-वाराणसी के मध्यवर्ती स्टेशन अयोध्या कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज एवं जौनपुर नहीं जाएगी। गाड़ी संख्या 13238 कोटा-पटना एक्सप्रेस पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार 0 ट्रिप 18 एवं 19 जनवरी को अपने प्रारम्भिक स्टेशन प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग की ट्रिप को बढ़ाकर दिनांक 21 जनवरी भी किया गया है। गाड़ी संख्या 13237 पटना-कोटा एक्सप्रेस को दिनांक 16,20,21 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी अर्थात यह गाड़ी अब दोनों दिशाओं में 03-03 ट्रिप इस मार्ग पर अपने पूर्व मार्ग के बजाय लखनऊ-सुल्तानपुर-जफराबाद होकर जायेगी।

युवक ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में स्थित पिछोला में कूद कर युवक ने आत्महत्या कर ली। गुरूवार सवेरे नाथीघाट सिरोहीवाड़ा निवासी आकाशदवे (42) पुत्र छोटालाल दवे ने अम्बापोल स्थित पिछोला झील में कूद कर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर एएसआई इशाक मोहम्मद ने मौके पर पहुंच कर मृतक को बाहर निकाल एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवा परिजनोंको सूचना दी। जिनके आने पर शुक्रवार को मृतक का पोस्टमाट्रम होगा। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि अकाश होटल में कीचन में काम करता था एवं मानसिक तनाव में था।

होटल संचालक से मारपीट, अस्पताल में भर्ती कराया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र की एक होटल संचालक पर कुछ लोगों ने लाठियों और तलवार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया।

- घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया

क्षेत्र के आसपुर गांव में रहने वाले चांदमल सुवालका ने रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 10 जनवरी देर रात को उसका भाई भाई मदनलाल पिता चांदमल सुवालका (38) एक रेस्टोरेंट पर था।

इसी दौरान वहां गाड़ियों में सवार होकर कमलेश पिता जमनालाल सुवालक, मुकेश सुवालका, मनीष जाट सहित पांच अन्य व्यक्तियों ने लाठियों और तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसके भाई के शरीर पर गंभीर चोट आई है। उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कुछ व्यक्ति हवा में तलवार और लाठियां लहराने नजर आ रहे हैं। पुलिस ने चांदमल की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

हमले में घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 22 माह से कार्य ग्रहण नहीं करवाने पर लिया प्रसंज्ञान

हाईकोर्ट ने दायर रिट याचिका पर वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

जोधपुर, (कासं)। वन विभाग जोधपुर में पोस्टेड सहायक प्रशासनिक अधिकारी पिछले 22 महीने से रोजाना ऑफिस आकर और गेट के बाहर बैठता और ड्यूटी टाइम पूरा होने पर निकल जाता, लेकिन उसको उप वन संरक्षण ने कार्यभार गृहण नहीं करवाया। इस पर उसने कोर्ट की शरण ली और याचिका दायर की। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर के कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पोस्टेड भोपाल सिंह सोलंकी की रिट याचिका पर वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

यह था मामला :-23 मार्च 2022 को भोपाल सिंह का प्रमोशन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट पर हुआ। प्रमोशन के साथ उसका ट्रांसफर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन बल प्रमुख) जयपुर द्वारा उप वन सरंक्षक जोधपुर के कार्यालय में किया गया।

याचिकाकर्ता के ट्रांसफर के आदेश में प्रधान मुख्य संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश 05 मई 2022 के आदेश से उप वन सरंक्षक जोधपुर के स्थान पर उपवन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर कर दिया गया। इस पर याचिका कर्ता ने 09 मई को अपनी उपस्थिति उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर के कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रस्तुत की। लेकिन उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर द्वारा उसकी उपस्थिति लेने से इंकार कर दिया।

उप वन संरक्षण ने याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया की वह उप वन सरंक्षक जोधपुर के यहां 23 मार्च को जो आदेश दिया है उसके तहत पहले जोइनिंग दे। इसके बाद वहां से कार्य मुक्त होकर उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर के यहां के आदेश जो कि 5 मई 2022 के तहत कार्यग्रहण करे। क्योंकि उसके आदेश 23 मार्च 2022 के तहत पहले ट्रांसफर उप वन सरंक्षक जोधपुर के यहां हुआ व संशोधित आदेश दिनांक 5 मई 2022 के तहत पदस्थापन उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर में हुआ।

याचिकाकर्ता द्वारा उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर को बार बार निवेदन किया गया कि उसने 23मार्च 2 के आदेश के तहत उपवंन सरंक्षक जोधपुर के यहां कार्यग्रहण किया ही नहीं व विभाग द्वारा 5 मई के आदेश से उसके पदस्थापन आदेश मे प्रधान मुख्य वन सरंक्षक जयपुर द्वारा संशोधन करते हुए अब पदस्थापन उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर में कर दिया है व अब यह यहां अपनी उपस्थिति 9 मई से लगातार दे रहा है। ऐसे में कार्यग्रहण करवाया जाए।

याचिकाकर्ता को उप वन सरंक्षक (प्रशिक्षण) जोधपुर द्वारा नियमित रूप से इस बाबत स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है कि आप कार्यग्रहण नहीं कर रहे है व याचिकाकर्ता द्वारा यह लिखित जवाब दिया जा रहा है कि वह कार्यालय के बाहर रोजना 10 बजे से 5 बजे तक बैठा रहता है व उसी के द्वारा उसे कार्यठाहण नहीं करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा पिछले 22 महीनों से कार्यग्रहण नहीं करवाने व केवल उसे तंग व परेशान करने की नीयत से नियमित नोटिस दिये जाने से उसने व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका उसे कार्यग्रहण करवाने व पिछले 22 महीनों से वेतन नहीं देने के कारण अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश के याचिकाकर्ता की रिट याचिका को अंतरिम रूप से मानते हुए वन विभाग को नोटिस जारी करने हुए जवाब तलब किया।